

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2011—ज्येष्ठ 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. बी-7(बी) 38-2010-2-पांच-(17).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा—

- (1) एक रजिस्ट्रीकरण जिला सिंगरौली बनाती है, जिसमें संपूर्ण देवसर, चितरंगी एवं सिंगरौली तहसीलें समाविष्ट होंगी, जो कि सीधी रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त सीधी रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसका भाग नहीं रहेंगे;
- (2) बैढ़न में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जो रजिस्ट्रार सिंगरौली का कार्यालय होगा; और
- (3) यह निदेश देती है कि उपर्युक्त खण्ड (1) तथा (2) के अधीन जिले का सृजन तथा रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना तारीख 1 जुलाई 2011 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. बी-7(बी) 38-2010-2-पांच-(17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-7(बी) 38-2010-2-पांच-(17), दिनांक 31 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st May 2011

No. B-7 (B) 38-2010-2-V-(17).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908) the State Government hereby—

- (1) forms a Registration District of Singrauli comprising the whole of Devsar, Chitrangi and Singrauli Tehsils which are included in and form part of Sidhi Registration District, but shall hereafter cease to be included in or form part of the said Sidhi Registration District;
- (2) establishes an office at Baidhan to be styled as the office of Registrar, Singrauli; and
- (3) directs that the formation of the District and the establishment of the office of Registrar under clause (1) and (2) above shall take effect on and from 1st July 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. बी-7(बी) 38-2010-2-पांच-(18).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा—

- (1) एक रजिस्ट्रीकरण जिला अलीराजपुर बनाती है, जिसमें संपूर्ण अलीराजपुर, जोबट एवं भावरा तहसीलें समाविष्ट होंगी, जो कि झाबुआ रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त झाबुआ रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसका भाग नहीं रहेंगे;
- (2) अलीराजपुर में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जो रजिस्ट्रार अलीराजपुर का कार्यालय होगा; और
- (3) यह निदेश देती है कि उपर्युक्त खण्ड (1) तथा (2) के अधीन जिले का सृजन तथा रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना तारीख 1 जुलाई 2011 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

क्र. बी-7(बी) 38-2010-2-पांच-(18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-7(बी) 38-2010-2-पांच-(18), दिनांक 31 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st May 2011

No. B-7 (B) 38-2010-2-V-(18).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908) the State Government hereby—

- (1) forms a Registration District of Alirajpur comprising the whole of Alirajpur, Jobat and Bhavra Tehsils which are included in and form part of Jhabua Registration District, but shall hereafter cease to be included in or form part of the said Jhabua Registration District;
- (2) establishes an office at Alirajpur to be styled as the office of Registrar, Alirajpur; and
- (3) directs that the formation of the District and the establishment of the office of Registrar under clause (1) and (2) above shall take effect on and from 1st July 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.